सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

दिनांकः 14.08.2017

केस सं0: 5214 / 1014 / 2014

वादी

श्री राजेश उप्रेती R2859
पुत्र – तारा दत्त उप्रेती
एस.ए.डी.पोस्ट धामदेवल वाया गनाई
जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड – 263656

बनाम

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड R2860
(द्वारा) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
नं:135, पेरियार, ई.वी.आर.हाई.रोड़
कीलापॉक, चेन्नई – 600010 तमिलनाडु

प्रतिवादी

सुनवाई की तिथियाँ : 10.07.2017 एवं 31.07.2017

उपस्थित :

प्रार्थी – प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित
प्रतिवादी – प्रतिवादी पक्ष अनुपस्थित

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता श्री राजेश उप्रेती ने फार्मासिस्ट पद पर भर्ती से संबंधित शिकायत – पत्र 17.08.2015 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

2. वादी का अपनी शिकायत में कहना था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 16-15/2010-DD-III दिनांक 29.07.2013 के अनुसार ग्रुप 'सी' में फार्मासिस्ट का पद क्रम. सं. 992 पर OL, BL के लिए चिन्हित है तथा क्रम सं. 1233 पर फार्मासिस्ट का पद OA,OL,OAL एवंम HH के लिए चिन्हित है। परन्तु कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं नेयवली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड ने भर्तियों के विज्ञापनों में फार्मारिस्ट के पद को विकलांगता की केवल OL, BL श्रेणी को दर्शाया है।

3. उक्त मामले को अध्ययन करने के बाद यह पाया गया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 16-15/2010-DD-III दिनांक 29.07.2013 के अनुसार ग्रुप 'सी' में फार्मासिस्ट का पद क्रम. सं. 992 पर OL, BL के लिए चिन्हित है तथा क्रम सं. 1233 पर फार्मासिस्ट का पद OA,OL,OAL एवंम HH के लिए चिन्हित है। उपरोक्त मामले को दिनांक 06.10.2015 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड से लिया गया।

4. सहायक निदेशक (प्रशा.), कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अपने पत्र दिनांक 02.02.2016 में कहना है कि मुख्य आयुक्त निःशक्तजन न्यायालय के निर्देशानुसार बाकी अन्य श्रेणियों (ओ.ए, ओ.ए.एल तथा एच एच) को भी फार्मासिस्ट पद के अन्तर्गत अपने भर्ती विज्ञापन दिनांक 04.12.2015 में सम्मिलित कर दिया गया है तथा भर्ती विज्ञापन में रोजगार समाचार पत्र दिनांक 03 – 09 अक्टूबर 2015 के अंतर्गत जारी की गई रिक्त पद भी शामिल हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियमों का अनुपालन हो गया है।

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली-110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in : Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

5. चूंकि नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः प्रतिवादी नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 04.11.2015 के मद्देनज़र दिनांक 10.07.2017 को सुनवाई रखी गई। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई। जबकि सुनवाई का नोटिस दिनांक 09.06.2017 स्पीट पोस्ट से भेजा गया था। शिकायतकर्ता ने सुनवाई दिनांक 10.07.2017 को अपना पक्ष रखा था और कहा कि नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड ने उनको अभी तक कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया है तथा प्रार्थी का यह भी कहना था कि वह अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं हो पायेगे चूंकि उत्तराखण्ड से आना उनके लिए कठिन है। इसलिए वादी को अग्रिम सुनवाई यानी 31.07.2017 में प्रस्तुत रहने की शर्त से मुक्त किया गया था।

6. पुनः दिनांक 31.07.2017 की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही प्रस्तावित अनुपस्थिति के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई। इस न्यायालय ने गंभीर चिंता के साथ इस बात का संज्ञान लिया कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत मामले में घोर उपेक्षा दिखाई गई है।

7. दस्तावेजों एवं संबंधित विज्ञापन की जाँच करने के उपरान्त, यह न्यायालय प्रतिवादी को निम्नलिखित निर्देशों के साथ मामले का निपटारा करता है:–

- प्रस्तुत मामले में वादी को नियमानुसार राहत प्रदान करें।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नोटिफिकेशन संख्या 16-15/2010-DD-III दिनांक 29.07.2013 के अनुसार ग्रुप 'सी' में फार्मासिस्ट का पद क्रम. सं. 992 पर OL, BL के लिए चिन्हित है तथा क्रम सं. 1233 पर फार्मासिस्ट का पद OA,OL,OAL एवंम HH के लिए चिन्हित है। इसलिए भविष्य में भर्ती विज्ञापन में फार्मासिस्ट पद में बाकी अन्य श्रेणियों (ओ.ए, ओ.ए.एल तथा एच एच) को सम्मिलित करें।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12.2005 के पैरा 15 के अनुसार रोस्टरों का रखरखाव करें।
- रोस्टर के हिसाब से रिक्तियों की गणना करें; और बैकलॉग रिक्तयों को विशेष भर्ती अभियान के तहत भरें।
- भविष्य में कार्मिक, लोक–शिकायत तथा पेंशन–मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या – 36035/3/2004–स्थापना (आरक्षण) दिनांक 29.12. 2005 के पैरा 25 के अनुसार विज्ञापन दें।

(डॉ कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त